174 परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल आठ रहे अनुपस्थित

मोतिहारी. जिले 67 केंद्रों पर संचालित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के दौरान मंगलवार को ऐच्छिक विषयों की परीक्षा हुई. दोनों पालियों में 182 में 174 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि आठ अनुपस्थित रहे. डीइओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा में 106 में एक सौ तथा द्वितीय पाली की परीक्षा में 76 में 74 परीक्षार्थी शामिल हुए. प्रथम पाली से छह तथा द्वितीय पाली में दो परीक्षार्थी शामिल हुए.

क्रिकेट की विस्फोटक पारियां, पिट्टू का रोमांच, बैडमिंटन की फुर्ती और कैरम-शतरंज की रणनीति

उमंग में प्रतिभागियों की प्रतिभा का प्रदर्शन

आयोजन

प्रतिनिधि, मोतिहारी

महत्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक खेल महोत्सव उमंग 3.0–2026 के तीसरे दिन मंगलवार को विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई. क्रिकेट मुकाबलों में किंग्स इलेवन ने ब्रॉडकास्टिंग ब्लास्टर्स को छह विकेट से पराजित किया. हेमंत कुमार ने तीन विकेट लेने के साथ 35 रन की शानदार पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता. महिला क्रिकेट में सीपी XI ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए द आयरनी आइकॉन्स को 114 रनों के बड़े अंतर से हराया. जयस्मिता ने 73 रन बनाने के साथ दो विकेट लेकर वुमन ऑफ द मैच का सम्मान हासिल किया.

वहीं गोल्डन गर्ल्स ने आयत की घातक गेंदबाजी के दम पर उड़ान वॉरियर्स को 10 विकेट से शिकस्त दी. बैडमिंटन डबल्स (छात्रा वर्ग) में रसायन विज्ञान विभाग की अनुष्का कुमारी एवं शुभ्रा कुमारी की जोड़ी ने शानदार तालमेल के साथ खिताब अपने नाम किया. उपविजेता अदिति एवं मनीषा रहीं, जबकि तीसरे स्थान पर श्रेया पांडेय और रागी कुमारी की जोड़ी रही.

पारंपरिक खेल पिट्टू में कॉस्मिक कॉन्क्वर्स टीम ने रोमांचक फाइनल में इलेक्ट्रिक पिट्टू को 19–14 से हराकर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया. खिलाड़ियों के बेहतरीन तालमेल और रणनीति ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया. कैरम प्रतियोगिता में प्रबंधन विज्ञान विभाग के अंकित कुमार मिश्रा प्रथम स्थान पर रहे, जबकि विकास कुमार तिवारी उपविजेता और निखिल कुमार तृतीय स्थान पर रहे. शतरंज में कल्याण गुरुवे ने उत्कृष्ट रणनीति के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, सत्यम कुमार द्वितीय तथा उज्ज्वल गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि उमंग जैसे आयोजन विद्यार्थियों में टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं.

प्रतियोगिता में खेलते प्रतिभागी.

27 से इंटर और दो मार्च से होगी मैट्रिक की कॉपियों की जांच

मुजफ्फरपुर. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के मूल्यांकन की तिथि जारी कर दी है. इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 27 फरवरी से दो मार्च तक और मैट्रिक की कॉपियों का दो मार्च से 13 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है. जिले में इंटर की परीक्षा का मूल्यांकन चैपमैन बालिका सीनियर सेकेंड्री स्कूल, राजकीय जिला स्कूल, द्वारिकानाथ हाइ स्कूल, मारवाड़ी हाइ स्कूल, मुखर्जी सेमिनरी सेकेंड्री स्कूल में होगा. वहीं मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन बीबी कॉलेजिएट स्कूल, विद्या बिहार हाइ स्कूल, तिरहुत एकेडमी, प्रभात तारा बालिका स्कूल, आबेदा हाइ स्कूल और राधा देवी बालिक स्कूल में किया जाएगा.

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
सब जज- 9,
व्यवहार न्यायालय,
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण.
विभाजन वाद संख्या-371/2025.
सुनिता देवी....................वादनी
बनाम
दयाशंकर सिंह, वगैरह........प्रतिवादीगण
नोटिस बनाम

1. दयाशंकर सिंह, 2. अनिल सिंह, 3. सुनिल सिंह, सभी पेसरान– स्व० गगनदेव सिंह, 4. रजनीश कुमार, 5. राहुल कुमार, दोनों पिता– दयाशंकर सिंह, 6. प्रशांत कुमार सिंह, 7. विशाल कुमार सिंह, दोनों पिता–अनिल कुमार सिंह, 8. कुमार सानू, पिता – सुनील सिंह. 9. सब्बू कुमारी, 10. माही कुमारी, दोख्तरान– सुनील सिंह . 11. इन्दू देवी, पति–स्व० जगत नारायण सिंह, 12. सत्यम कुमार पिता–स्व0 जगत नारायण सिंह, 13. अमृता देवी, पिता – स्व० पुत्री – जगत नारायण सिंह, 14. विनय कुमार सिंह उर्फ संजीत कुमार, पिता स्व० जगत नारायण सिंह, 15. भगत प्रसाद सिंह, पिता स्व० कस्तूरी सिंह, 16. संजय कुमार सिंह, 17. पिंटू कुमार सिंह, वल्दान– भगत प्रसाद सिंह, 18. जटाशंकर सिंह, पिता– कस्तुरी सिंह, 19. विकास रंजन सिंह उर्फ अभिषेक, 20. विवेक कुमार सिंह उर्फ छोटू वल्दान– जटाशंकर सिंह, 21. खूशबू देवी, पिता– जटाशंकर सिंह, 22. हरिशंकर सिंह, पिता–स्व० दरोगा सिंह, 23. मनोज कुमार सिंह, पिता–हरिशंकर सिंह, 24. नागेन्द्र सिंह, पिता–स्व० दरोगा सिंह, 25. मनमोहन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पिता – नागेन्द्र सिंह, 26. उमाशंकर सिंह, पिता – स्व० दरोगा सिंह, 27. मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता–उमाशंकर सिंह, 28. शशि कुमारी, 29. मधु कुमारी, दोनों पुत्री उमाशंकर सिंह, 30. विनोद कुमार सिंह, पिता स्व० दरोगा सिंह, 31. सुशांत सिंह 32 . टोनी सिंह 33. अंजली सिंह, वल्दान– विनोद कुमार सिंह, 34. श्वेता सुमन, पुत्री विनोद कुमार सिंह, 35. सीमा देवी, पति संजय सिंह, 36. रीमा देवी, दोनों पुत्री मनोज सिंह, 37. रीतेश कुमार उपाध्याय, पिता– नागेश्वर उपाध्याय, 38. सीता देवी,पति–नथुनी राय. 39. चुनी देवी, पति संजय प्रसाद यादव, 40. रमेश प्रसाद, पिता–स्व० शिवजी प्रसाद, 41. शकुन्तला देवी, पति– सुकदेव प्रसाद सभी ग्राम – मधुबनी घाट, पोस्ट–मधुबनी घाट, थाना – मुफ्फसिल मोतिहारी, जिला – पूर्वी चम्पारण. 42.प्रिया देवी, पति– गौतम कुमार सिंह, मोहल्ला – बेलवनवा, पोस्ट – मोतिहारी, थाना–नगर मोतिहारी, जिला – पूर्वी चम्पारण. 43. दिव्या कुमारी उर्फ छोटी कुमारी, मोहल्ला – खोदानगर, पोस्ट– मोतिहारी, थाना–छतौनी, जिला – पूर्वी चम्पारण. 44. किरण सिंह, पति–पंकज सिंह, ग्राम – रघुनाथपुर, पोस्ट– रघुनाथपुर थाना – रघुनाथपुर, जिला– पूर्वी चम्पारण, 45. रंजना सिंह, पति – रामकृष्ण मानस, ग्राम–मोखलिसपुर, पोस्ट– मोखलिसपुर, थाना–बंजरिया, जिला – पूर्वी चम्पारण, 46. निर्मला देवी, पति – उमाशंकर प्रसाद, ग्राम–हराजपुर, पोस्ट–लक्ष्मीपुर, थाना– मुफ्फसिल मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण. 47. मु0 अनिता देवी पति–सुरेन्द्र सिंह पुत्री गगन देव सिंह ग्राम–हलुआर पीपरा पो0–अक्षयवर पीपरा, थाना–सिधवलिया, जिला–गोपालगंज. 48. अर्चना देवी पति स्व0 मन्टू सिंह पुत्री दयाशंकर सिंह ग्राम–काकड़कुण्ड पो0–मानिकपुर, थाना– नगर, जिला–गोपालगंज. 49. कामनी देवी पति गजेन्द्र कुमार सिंह ग्राम मिर्जापुर, पो0–बरौली, थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज. 50. गुड्डी देवी उर्फ प्रियंका देवी पति–अतुल कुमार सिंह ग्राम केदुई पो0–कन्दुई, थाना–विष्णुपद क्षेत्र, जिला– गयाजी. विदित हो कि, आपलोगों के पास नजारत के माध्यम से वो डाक के भी माध्यम से नोटिश भेजी गयी थी, परन्तु आपलोग अभी तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखा है. अब इस गजट प्रकाशन के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि आपलोग दिनांक 07.04.2026 को समय – 10.30 पूर्वाह्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, न्यायालय आपलोगों के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर देगी. इसे अति आवश्यक समझे. नोटः– मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर द्वारा जारी.

सब जज-9, व्यवहार न्यायालय
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
सब जज - 9
व्यवहार न्यायालय मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण.
बंटवारा वाद सं0-420 / 2025
रामबालक सिंह.............वादी
बनाम
श्रीकान्त सिंह, वो०...........प्रतिवादीगण
नोटिस बनाम

1. श्रीकान्त सिंह, पिता – स्व0 महेन्द्र सिंह 2. हरिशंकर सिंह, पिता – स्व0 महेन्द्र सिंह. 3. राजू सिंह, पिता स्व० चुल्हाई सिंह 4. पुनम देवी, जौजे स्व० चुल्हाई सिंह. सभी साकिनान + पो०– चिन्तामनपुर, थाना– पिपरा, अंचल, अंचल + अनुमण्डल चकिया, जिला – पूर्वी चम्पारण, पिन कोड – 845416. आपसभी लोगों प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है, कि वादी ने आपलोगों को खिलाफ उपरोक्त बंटवारा वाद दायर किया है आपलोगों को व्यवहार न्यायालय मोतिहारी, के नजारत के द्वारा एवं स्पीड पोस्ट डाक द्वारा नोटिस भेजा गया था. जिसके प्राप्ती के बावजूद भी आपलोगों ने ध्यान नहीं दिया आपलोगों को पुनः प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है कि आपलोग मेरे न्यायालय में दिनांक – 16.04.2026 को समय 10.30 बजे उपस्थित होकर स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से वाद को उचित पैरवी करें. अन्यथा आपलोगों के अनुपस्थिति में वाद की एकपक्षीय सुनवाई कर वाद का निपटारा कर दिया जायेगा. ताकिद जाने. आज दिनांक– 20.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया.

सब जज-9, व्यवहार न्यायालय
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण.

कोर्ट नोटिस

ब अदालत,
सबजज-4
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण
स्वत्व वाद संख्या - 649 / 2025
राजेन्द्र भगत एवम् अन्य.......वादीगण
बनाम
रीना देवी एवम् अन्य......प्रतिवादीगण
नोटिस बनाम

1. रामदेनी सिंह पिता स्व. सिंहासन सिंह, साकिन– जयसिंहपुर टोला राजपुर, डाक वो थाना– तुरकौलिया, जिला– पूर्वी चम्पारण. 2. हरिशंकर भगत, 3. बासुदेव भगत, दोनों पेसरान– स्व. शिवनंदन कोईरी, दोनों साकिनान– पटखौलिया, डाक– सेमरा, थाना– बंजरिया, जिला– पूर्वी चम्पारण. चूँ बजरिये नोटिस आपलोगों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय के द्वारा निबंधित डाक से नोटिस वो नजारत से सम्मन भेजे जाने के बावजूद आपलोग न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं पूनः आप सभी को इस नोटिस (गजट प्रकाशन) के द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 06.03.2026 को पूर्वाहन 10.30 बजे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा न्यायालय आप सभी के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायेगी.

सब जज-4
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण

कोर्ट नोटिस

ब अदालत
सब जज - 6
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण
बटवारा मो0 नं0 - 236/2025
शेख मोख्तार वो..................मुदई
बनाम
मु. यासमीन आरा वो............... मुदालहम
नोटिस बनाम

1. मु. यासमीन आरा जौजे मो. हकीमुद्दीन मरहूम 2. मो खालीक रजा 3. मो आसीफ रजा 4. मो रासीद रजा 5. मो आशिक रजा 6. मो आमीर रजा सभी पेसरान– मो हकीमुद्दीन मरहूम 7. नासरिन प्रवीण जौजे मो शमीम पिता मो हकीमुद्दीन मरहूम सभी सकिनान– चकिया टोला इमादपटी, पोस्ट– बारा चकिया थाना – चकिया, जिला– पूर्वी चम्पारण. चु बजरिया दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा मुदई ने आप लोगों के विरुद्ध दाखिल किया है उपरोक्त मुकदमा में बजरिये पोस्ट ऑफिस दो नजारत से समन गया था, लेकिन आप लोग मुकदमा की जानकारी रखते हुए, मुकदमा में हाजिर नहीं हो रहे हैं दिनांक 16.03.2026 को 10:30 बजे खुद या वकालतन मुकदमा में हाजिर होकर जो बयान करना है करे नहीं तो आप लोगों के विरुद्ध मुकदमा में एक पक्षीय सुनवाई किया जाएगा, इसको ताकिद जाने अदालत के हस्ताक्षर वो मोहर से जारी किया गया.

सब जज-6
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण

कोर्ट नोटिस

ब अदालत
सब जज 4
मोतिहारी पूर्वी चम्पारण.
एम.एस. नं0- 7/2023
लालबाबु प्रसाद...........वादी
बनाम
अमजद अली खान...........प्रतिवादी
नोटिस बनाम

1. अमजद अली खान उर्फ गुड्डू खान वल्द मोनाफ खां साकिन बथना थाना केसरिया जिला पूर्वी चम्पारण. बजरिए अखबार प्रकाशन आपको सुचित किया जाता है कि वादी ने उपरोक्त मोकदमा आपके विरुद्ध न्यायालय में दाखिल किया है जिसमें न्यायालय से नोटिस सम्मन रजिस्ट्री कार्ड भेजने के बावजूद आप न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं. अतः दिनांक 25.03.2026 को 10.30 बजे मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा मोकदमा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जायेगा. ताकिद जाने. मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय के मोहर से जारी.

सब जज-4
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
सबजज -01, सिकरहना,
स्थित ढाका, पूर्वी चम्पारण।
मोकदमा नं०- 145/2025
सेगा - स्वत्व
देवेन्द्र राय ....मुदईया
बनाम
मुकेश राय वो० .... मुदालहम
गजट प्रकाशन

चूँ बजरिय नोटिस आपलोग 1. मुकेश राय, 2. रमेश राय, 3. विकेश राय तीनो पिता स्व० योगेन्द्र राय, 4. धर्मशीला देवी जौजे – मुकेश राय सभी साकिनान मौजा सुन्दरपुर बभनौला टोला– आमगाछी, पोस्ट– बैधनाथपुर, थाना चिरैया, जिला – पूर्वी चम्पारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा सम्मन नोटीस भेजने के बावजूद आपलोग न्यायालय मे उपस्थित नही हो रहे है। अतः बजरिये नोटीस आपलोगो को अगाह किया जाता है कि मुकदमा की अग्र सुनिश्चित तिथि 21.04.2026 को स्वयं या अपने अधिवक्ता महोदय के द्वारा न्यायलय मे आकर अपना पक्ष रखे, अन्यथा आपके विरुद्व एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा। इसे ताकिद जाने।

सब जज-01
सिकरहना स्थित ढाका
पूर्वी चम्पारण।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

शाखा-लखौरा, SAM विभाग, अंचल कार्यालय -चम्पारण, उज्जवल कॉम्प्लेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई नीलामी की तिथि : 27.03.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 27.03.2026 पूर्वाह्न 12.00 बजे तक)

शाखा का नाम / खाता का नाम एवं संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]–	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) बी) बकाया राशि माँग सूचना तिथि को सी) बकाया राशि बिक्री सूचना तिथि को डी) कब्जा तिथि U/S 13(4) ई) कब्जे की प्रकृति– प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए) सुरक्षित मूल्य– बी) ईएमडी सी) बीड वृद्धि की राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण– सुरक्षित लेनदार
पीएनबी-लखौरा (156200) **मेसर्स विशाल इंटरप्राईजेज 1562008700041503** **मेसर्स विशाल इंटरप्राईजेज,** प्रो0–मुन्नी लाल साह, ग्राम+पो0–छौड़ादानो, पूर्वी चम्पारण **मुन्नी लाल साह** पिता–रघुवीर साह, ग्राम–सुखलहिया, वार्ड नं0–03, पो0 एवं थाना–दरपा, पूर्वी चम्पारण **शोभा देवी** पति–मुन्नीलाल साह ग्राम–सुखलहिया, वार्ड नं0–03, पो0 एवं थाना–छौड़ादानो, पूर्वी चम्पारण. **जयमंगल सिंह** पिता–स्व0 इनर सिंह ग्राम–भेलवा, अंचल–छौड़ादानो, पूर्वी चम्पारण.	आवासीय सह व्यवसायिक भूमि एवं भवन जिसका क्षेत्रफल 3.087 डिसमील और 6 धुर जिसका मौजा–भेलवा, अंचल एवं थाना–छौड़ादानो, थाना नं0–168, तौजी नं0–236, खाता नं0–93, खेसरा नं0–1851, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी. चौहद्दी : उत्तर–कामेश्वर कुमार एवं अन्य, दक्षिण–महंथ साह, पूब–रोड, पश्चिम–पीडब्ल्यूडी रोड, जिसका सेल डीड नं0–5355, दिनांक 30.07.2015. स्वामी : श्रीमती शोभा देवी पति–मुन्नीलाल साह.	ए) 11.09.2025 बी) रू0 1880793.49/– 31.08.2025 को+ पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क सी) रू0 1794405.49/– 31.01.2026 को+ पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क डी) 21.11.2025 ई) प्रतिकात्मक	ए) रू0 3683000/- बी) रू0 368300/- सी) रू0 20000/-	27.03.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	पंजाब नेशनल बैंक, लखौरा शाखा (156200)

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **27.03.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान–मोतिहारी
दिनांक : 18.02.2026

श्री रवि कुमार, मो0–8787217004
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

बिहार सरकार
वाणिज्य कर विभाग

पेशा कर भुगतान के संबंध में आवश्यक सूचना

यदि आप बिहार राज्य में GST अथवा VAT/CST के अधीन निबंधित व्यवसायी हैं तो आपको बिहार पेशा कर अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रतिवर्ष ₹2,500/- (दो हजार पाँच सौ) मात्र पेशा कर का भुगतान करना है।

उपरोक्त के अलावे यदि आप निम्न पेशा से संबंधित हैं तो निम्नांकित तालिका के अनुसार पेशा कर का भुगतान करना अनिवार्य है :-

पेशा की प्रकृति	पेशा कर की दर
केवल ऑपरेटर, सिनेमा हॉल, उत्सव हॉल, सभा कक्ष, आवासीय होटल कोचिंग क्लास, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, ईंट-भट्ठे के संचालक, फिल्म वितरक, थियेटर संचालक, हेल्थ सेन्टर इत्यादि	₹ 2,500/- प्रतिवर्ष
किराये पर चलने वाली टैक्सी, कार एवं ऐसे प्रत्येक वाहन ऑपरेटर के लिए	₹ 1,000/- प्रतिवर्ष
किराये पर चलने वाले ट्रक, बस एवं ऐसे प्रत्येक वाहन ऑपरेटर के लिए	₹ 1,500/- प्रतिवर्ष
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 या माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायी के लिए	₹ 2,500/- प्रतिवर्ष

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति की वार्षिक आय रुपये 3.00 लाख से अधिक है, तो उन्हें भी विहित दर से पेशा कर का भुगतान करना अनिवार्य है, तालिका निम्नवत है

कर निर्धारिती का वर्ग	संदेय कर की राशि
व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक हो परन्तु प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं हो	₹ 1,000/- प्रतिवर्ष
व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय पाँच लाख रुपये से अधिक हो परन्तु प्रति वर्ष दस लाख रुपये से अधिक नहीं हो	₹ 2,000/- प्रतिवर्ष
व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय दस लाख रुपया से अधिक हो	₹ 2,500/- प्रतिवर्ष

पेशा कर भुगतान करना आसान है

- पेशा कर का भुगतान ऑन-लाईन किया जा सकता है।
- यदि आप चालान के माध्यम से बैंक में पेशा कर का भुगतान करना चाहते हैं तो कृपया पेशा कर के लिए विहित चालान PT-X द्वारा करें एवं उसमें अपना पैन अवश्य अंकित करें।
- कोई असुविधा होने पर अथवा विस्तृत जानकारी हेतु अपने नजदीक के वाणिज्य-कर कार्यालय से संपर्क करें। इसके लिए हेल्प डेस्क 0612-2233512-16 पर संपर्क किया जा सकता है।
- कृपया यह जान लें कि उपर्युक्त सभी के लिए पेशा कर का भुगतान किया जाना कानूनी बाध्यता है, ऐसा नहीं किए जाने पर पेनाल्टी हो सकती है।

PR-024918(Commercial tax) 2025-26

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव
वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

शाखा-लखौरा, SAM विभाग, अंचल कार्यालय -चम्पारण, उज्जवल कॉम्प्लेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई नीलामी की तिथि : 27.03.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 27.03.2026 पूर्वाह्न 12.00 बजे तक)

शाखा का नाम / खाता का नाम एवं संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]–	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) बी) बकाया राशि माँग सूचना तिथि को सी) बकाया राशि बिक्री सूचना तिथि को डी) कब्जा तिथि U/S 13(4) ई) कब्जे की प्रकृति– प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए) सुरक्षित मूल्य– बी) ईएमडी सी) बीड वृद्धि की राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण– सुरक्षित लेनदार
पीएनबी-लखौरा (156200) **हाशिम किराना स्टोर 1562008700041585** **हाशिम किराना स्टोर,** प्रो0–नूरशेद आलम, पिता–शेख सकिलउर्रहमान, हिरामनि छौड़ादानों, पूर्वी चम्पारण. **परवेज आलम**, पिता–शेख फैजुल रहमान, हिरामनि, छौड़ादानो, पूर्वी चम्पारण. **शेख अब्दुल सत्तार**, पिता–शेख अब्दुल रहिम, हिरामणि, छौड़ादानो, पूर्वी चम्पारण.	आवासीय मकान जिसका खाता नं0–47, खेसरा नं0–1487, क्षेत्रफल–06 धुर और खाता नं0–47, खेसरा नं0–1489, क्षेत्रफल–3 कट्ठा 3 धुर (कुल क्षेत्रफल–3 कट्ठा 9 धुर) ग्राम+पो0–हिरामणि, थाना–आदापुर, अंचल–छौड़ादानो, जिला–पूर्वी चम्पारण. **खेसरा नं0-1487 का चौहद्दी** : उत्तर–शेख अब्दुल रहिम, दक्षिण–शेख भानु, पूरब–शेख मुन्दजेजैल, पश्चिम–सड़क. **खेसरा नं0-1489 का चौहद्दी** : उत्तर–बैदार मुस्तरी, दक्षिण–बैदार मुस्तरी, पूरब–एलियाज, पश्चिम–सड़क, शेख भानु. **स्वामी** : शेख अब्दुल सत्तार पिता–शेख अब्दुल रहिम.	ए) 25.02.2025 बी) रू0 2250909.68/– 31.01.2025 को+ पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क सी) रू0 638854.68/– 18.02.2026 को+ पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क डी) 24.12.2025 ई) प्रतिकात्मक	ए) रू0 3186000/- बी) रू0 318600/- सी) रू0 20000/-	27.03.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	पंजाब नेशनल बैंक, लखौरा शाखा (156200)

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **27.03.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान–मोतिहारी
दिनांक : 18.02.2026

श्री रवि कुमार, मो0–8787217004
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002